

# Mobile court

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998  
IN THE COURT OF.....J.M.F.C. Gohad , DIST:- BHIND (M.P)

Case No.....195/17.....Complaint or report made on.....

Name and address of the Complainant.....  
.....

Name , parentage, caste and address of accused

विवेक ड/० कृपाराज शर्मा उम्र- 32 साल नि. शाह छुई थाना गोहरा

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 23.09.17 को समय लगभग 11:00 बजे, स्थान  
गोहरा थाना अंतर्गत थाना गोहरा में वाहन को  
MP30 BA 3208 को बिना कीमा के चलाया और  
इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा  
146/196 M.V Act के तहत दण्डनीय अपराध है और इस  
न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिष्ठा चाहते हो।

Judicial Magistrate First Class

The plea of the accused and his examination (If any) Gohad dist. Bhind (M.P.)

अपराध स्वेच्छया स्वीकार है।

Judicial Magistrate First Class

Gohad dist. Bhind (M.P.)

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the  
value of the property in respect of which the offence has been committed.



// निर्णय //

(आज दिनांक 23-09-17 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 M.V Act के तहत

दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी विवेक 8/0 कृपाराम शर्मा उम्र 32 साल नि. ग्राम छुई


को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 M.V Act के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए क्रमशः राशि रुपये कुल दण्ड द्वाारा रुपये रू० (1000/-) के

अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 10 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।

04. जप्तबुदा सम्पत्ति वाहन को MP 30 B M 9200 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर टंकित

  
Judicial Magistrate First Class  
Donad distt. Bhand (M.P.)